संख्या–83/VI-I/2005–5(5)2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग : देहरादून : दिनांक 06 अगस्त, 2005

विषयः– विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत स्थान लखवाड़ में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–349/सात–1150/2005–06, दिनांक 15 जुलाई, 2005 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत लखवाड़ में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रस्तुत आंगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 13.38 लाख (रूपये तैरह लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के आधार पर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– यह स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि खेल विभाग की उक्त भूमि युवा कल्याण विभाग को स्थानान्तरित कर दी गई है।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरिक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जावें।

8– आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

8(ए)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2– उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3– किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भंडार क्रय नियम तथा मितव्ययता सन्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

4– व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया है।

5– उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण देने के बाद ही आगामी अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

6– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–आयोजनागत–001–निदेशन एवं प्रशासन–07–ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम–00–24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–540 / वित्त अनुभाग–2 / 2005, दिनांक 22 जुलाई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– **VI-I** / 2005–5(5)2005, तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपूर रोड़ ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
6– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।